न्यायालय सहायक कलेक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा

पीठासीन अधिकारी – सुरेश चावला , आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 30 सन् 2013

पन्ना पुत्र नंदा जाति भील निवासी ग्राम बाडी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर {फौत} बजाय उसके वारिसान :–

1– देवीलाल पुत्र स्व0 श्री पन्ना
2– श्रीमति शान्तिदेवी पुत्री स्व0 श्री पन्ना
3– नानू पुत्र स्व0 श्री पन्ना
4– चौथुराम पुत्र स्व0 श्री पन्ना
5– धीसु पुत्र स्व0 श्री पन्ना

समस्त जाति भील निवासी ग्रम बाडी तहसील बिजयनगर । ––––––वादीगण

बनाम

1– श्रीमति गीता पुत्री नारायण पत्नी देवा
जाति भांबी निवासी खटीक मौहल्ला, ग्रम जालिया द्वितीय ।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर ––––––प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 13.10.2017

वादी ने इस वाद पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम बाडी तहसील बिजयनगर के आराजी खसरा संख्या 1053/1 रकबा 3–15–00 किस्म बारानी 3 व खसरा संख्या 1053/1846 रकबा 3–14–00 किस्म बा03 उसकी खरीदशुदा व कब्जेकाश्त की आराजी है व उसने यह आराजी खातेदार नारायण पुत्र रेवता जाति भाम्बी की मृत्यु पर उनके वारिसान श्रीमति मांगी बेवा नारायण व श्रीमति केसर बेवा रेमता से मुबलिग रू0 2,000/– में दिनांक 22–2–1979 को क्रय की थी एवम् 100/–रू0 के स्टाम्प पर बेचाननामा उसके पक्ष में निष्पादित कर सम्भला दिया एवम् वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम नामांकित हो चुकी है एवम यह भी बताया कि वादी बोनाफाईडी परचेजर एवम काबिज काश्त है ऐसी स्थिती में विक्रय पत्र दिनांक 22–2–1979 की रूह से खुदकाश्त खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 का नाम राजस्व जमाबन्दी से डिलीट कर उसके स्थान पर वादी का नाम बतौर खातेदार अंकित किया जावे एवम् प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने दौराने बहस यह निवेदन किया कि प्रस्तुत वाद इस न्यायालय में पोषणीय नही है एवम ऐसा वाद इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर ही नही किया जाना चाहिये प्रस्तुत वाद की पोषणीयता पर वकील प्रतिवादी ने निम्न तर्क प्रस्तुत कियेः–

वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस तर्क रखे की प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त आराजी 2000/–रूपये में दिनांक 22–2–1979 को क्रय किया जाना अभिकथित किया है एवम 100/–रू0 के स्टाम्प पर निष्पादितशुदा बेचाननामा के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि प्रस्तुत बेचाननामा व/या ईकरारनामा न तो पूर्ण स्टाम्पित है व न ही पंजीकृत दस्तावेज है एवम् ऐसे अप्रर्याप्त स्टाम्प एवम अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर यह न्यायालय चाह गया अनुतोष दिये जाने में सक्षम नही है। वादग्रस्त आराजी अभी तक प्रतिवादी संख्या 01 के नाम गैरखातेदारी में अंकित है एवम कथित बेचान के समय भी वादग्रस्त आराजी खातेदारी में नही थी एवम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 41 इस बाबत स्पष्ट है कि केवल मात्र एक खातेदार ही अपनी जोत को अन्तरित कर सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में वाद के साथ सलंग्न जमाबन्दी के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी गैरखातेदारी में अंकन है।

वादी जाति से भील होने से अभिकथित ––––––

वकील वादी ने उपरोक्त तर्को का पुर जोर विरोध एवम वाद में वर्णित कथनो को दौराया एवम स्पष्ट किया कि बेचाननामा के आधार पर खातेदारी दी जा सकती है ।

उपरोक्त परिपेक्ष में दोनो ही वकीलो के तर्को पर मनन किया एवम पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर वाद के साथ सलंग्न दस्तावेजात का गहनता से अध्यन्न किया तो स्पष्ट है कि वाद आधार दस्तावेज ईकरारनामा दिनांक 22–2–1979 अप्रर्याप्त स्टाम्प पर निष्पादित शुदा है एवम अपंजीकृत है जो साक्ष्यग्राही न होने से यह न्यायालय ऐसे दस्तावेज के आधार पर खातेदारी नही दी जा सकती, साथ ही वर्तमान में भी राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 गीता के नाम गैरखातेदारी में ही दर्ज है व उसे भी अभी तक खातेदारी प्राप्त नही हुई है अतएव पूर्व विक्रेताओ को खातेदारी प्राप्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है , इसके अलावा भी वकील वादी इस न्यायालय को सन्तुष्ट नही कर सके कि बेचान के समय श्रीमति मांगी व श्रीमति केसर खातेदार अथवा गैरखातेदार थी या नही व न ही इस बाबत आवश्यक राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किये है । चुंकि तत्समय भी नारायण पुत्र रेवता गैरखातेदार ही रहा अतएव गैरखातेदार व्यक्ति अपनी आराजी को अन्तरित नही कर सकता , मैने धारा 41 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का भी गहनता से अध्यन्न किया एवम इस बाबत वकील प्रतिवादी के तर्क में बल है कि गैरखातेदार व्यक्ति को अपनी जोत अन्तरित करने का अधिकार नही है ।

साथ ही प्रस्तुत वाद के अवलोकन से वादी भील जाति का होने से अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है एवम बेचानकर्ता श्रीमति मांगी व श्रीमति केसर भाम्बी जाति की होने से अनुसूचित जाति की है जिन्हे धारा 42 व 43 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तरण करने का अधिकार ही नही है अतएव भी वादग्रस्त आराजी अन्तरित नही हो सकती । यह न्यायालय वकील प्रतिवादी के प्रस्तुत वाद की मेन्टनेबिलिटि पर उठाये गये आक्षेपो पर सहमत है एवम इस न्यायालय को वादी द्वारा चाह गया अनुतोष दिये जाने का क्षेत्राधिकार नही है ।

अतः ग्राम बाडी स्थिति आराजी खसरा नम्बर 1053/01 रक्बा 03–15–00 व खसरा नम्बर 1053/1846 के द्वारा लाया गया वाद वादी सव्यय निरस्त किया जाता है वाद खर्च वादी स्वयं अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.26 13:42:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: